मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ०क्र० सी-3-4/87/3/1          भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन ।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 9 में किसी पद पर पदोन्नति या स्थानान्तर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परीक्षण पर रखने तथा परीक्षणकाल सफलता-पूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी करने की व्यवस्था थी, परन्तु उक्त नियम में परीक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, स्थानापन्नता की अवधि को आवश्यक होने पर कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न होने की स्थिति में कोई प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान नहीं था । इस प्रकार का प्रावधान न होने से नियमों के निर्वचन में एकरूपता नहीं थी एवं कई प्रशासनिक कठिनाइयां आती थीं । अत: उक्त नियमों में उपरोक्त व्यवस्था का प्रावधान करने हेतु दिनांक - 7 मई, 1987 के असाधारण राजपत्र द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए हैं । उपर्युक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरूप अब पदोन्नति अथवा स्थानांतर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य बातों के अतिरिक्त

क्रमश: 2.....

निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक होगी :-

(i) इस प्रकार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक को सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा। यदि संबन्धित पद को ... सेवा भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी भरा जाता है तो स्थानापन्नता (परीक्षण) की अवधि उस परिवीक्षा की अवधि के बराबर होगी जो नियमों के अनुसार सीधी भरती से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित है ;

(ii) स्थानापन्नता (परीक्षण) की कालावधि आवश्यक होने पर पर्याप्त कारणों से अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ;

(iii) परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबन्धित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जाएगा किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हों तो संबन्धित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं हैं और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा।"

2/ उपर्युक्तानुसार दिनांक 7 मई, 1987 को राजपत्र में अधिसूचित संशोधन की अधिसूचना संलग्न करते हुए निवेदन है कि इसमें उल्लिखित प्रावधानों को ठीक से पढ़कर समझ लिया जाये और इनके अनुसार कार्यवाही का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(केoएनo श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 3....